—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 26/2020

उनवान

रमेश सिंह पुत्र छोगा जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव

बनाम

1. गोपी पुत्र रतना
2. बरजी पुत्र गोकल
3. बीरी पुत्री गोकुल
4. भागचन्द पुत्र गोकुल
5. मोनू
6. सीमा
7. सोनू पुत्री गोकुल
8. सीता देवी पत्नी गोकुल
9. कमला पुत्री उगमा
10. गंगा पुत्री रतना
11. दिनेश पुत्र सुखदेव
12. धापू पत्नी उगमा
13. पप्पू पुत्र उगमा
14. पिंकी पुत्री सुखदेव
15. बरदी पत्नी रतना
16. बलदेव पुत्र उगमा
17. विक्रम पुत्र सुखदेव
18. सीता पत्नी सुखदेव
19. नोसर पत्नी बीरमा
20. राहुल पुत्र बीरमा
21. बीरी पुत्री बीरमा
22. राजवीर पुत्र रमेश सिंह, समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
23. प्रबन्धक युनियन बैंक आफॅ इण्डिया, शाखा भवानीखेडा, नसीराबाद
24. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
25. भरत सिंह
26. महेन्द्र सिंह
27. राम सिंह पि. गोपी सिंह, समस्त जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण [illegible] 16 जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा,
[illegible] 24 जरियें राज्य पैरोकार, शेष अनुपस्थित

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :–20.1.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 130/518 किता 8 रकबा 0.85, 132/550 किता 9 रकबा 0.90, 128/524 किता 2 रकबा 0.04, 270/257 किता 4 रकबा 0.59, 129/115 किता 5 रकबा 0.95 125/523 किता 6 रकबा 0.55 की आराजी उभयपक्ष की सह खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की भूमि है। आराजी मुतनाजा अविभाजित है, किन्तु अप्रार्थीगण बिना विभाजन कराये आराजी मुतनाजा के विक्रय करने व प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 4 व 16 ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन किया। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 130/518 किता 8 रकबा 0.85, 132/550 किता 9 रकबा 0.90, 128/524 किता 2 रकबा 0.04, 270/257 किता 4 रकबा 0.59, 129/115 किता 5 रकबा 0.95 125/523 किता 6 रकबा 0.55 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से की आराजी का बैचान नही किया जा सकता है। अविभाजित आराजी पर प्रत्येक सह खातेदार का हक व हिस्सा निहित है। किन्तु प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि अप्रार्थीपक्ष द्वारा आराजी मुतनाजा पर बिना विभाजन निर्माण कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। अविभाजित आराजी पर किसी भी सह खातेदार को बिना विभाजनन निर्माण करने का अधिकार नही है। अतः आराजी मुतनाजा के मौके की यथास्थिति रखना न्यायोचित होगा। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाज़ा अविभाजित है जिस पर प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा निर्धारित है। अविभाजित आराजी पर अन्य सह खातेदार को बिना विभाजन मौके की स्थिति परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। मौका स्थिति परिवर्तन करने से प्रार्थी कके हित प्रभावित होते है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तदनुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य ... में साक्ष्य आदि से सिद्व होंगे।

आदेश :– ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 130/518 किता 8 रकबा 0.85, 132/550 किता 9 रकबा 0.90, 128/524 किता 2 रकबा 0.04, 270/257 किता 4 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

0.59, 129/115 किता 5 रकबा 0.95 125/523 किता 6 रकबा 0.55 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"आंशिक स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:18:36 IST
Reason: SelfAttested